"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 288] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 19 जुलाई 2016—आषाढ़ 28, शक 1938

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 19 जुलाई 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-119/दो-गृह/रापुसे/2013.— अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (1956 का 104) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे की सारणी के कॉलम (4) में उल्लिखित अधिकारियों को, अनैतिक व्यापार को नियंत्रित एवं निवारित करने तथा उनके संबंधित क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत मामलों पर कार्यवाही करने के लिये, कॉलम (2) में उल्लिखित जिलों के लिये कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में भी कार्य करने हेतु नियुक्त करती है, अर्थात् :-

सारणी

स. क्र.	जिला	नगर पालिक निगम/ नगरपालिका का नाम	विशेष पुलिस अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	रायगढ़	नगर पालिक निगम, रायगढ़.	अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)/ नगर पुलिस अधीक्षक.
2.	जांजगीर-चांपा	नगरपालिका परिषद्, जांजगीर-चांपा.	अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)/ नगर पुलिस अधीक्षक.
3.	मुंगेली	नगरपालिका परिषद्, मुंगेली.	अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)/ नगर पुलिस अधीक्षक.

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	अंबिकापुर	नगर पालिक निगम, अंबिकापुर.	अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)/ नगर पुलिस अधीक्षक.
5.	महासमुंद	नगरपालिका परिषद्, महासमुंद.	अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)/ नगर पुलिस अधीक्षक.
6.	धमतरी	नगरपालिका परिषद्, धमतरी.	अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)/ नगर पुलिस अधीक्षक.
7.	जगदलपुर	नगर पालिक निगम, जगदलपुर.	अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)/ नगर पुलिस अधीक्षक.
8.	कोरिया	नगरपालिका परिषद्, कोरिया.	अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)/ नगर पुलिस अधीक्षक.
9.	सूरजपुर	नगरपालिका परिषद्, सूरजपुर.	अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)/ नगर पुलिस अधीक्षक.
10.	बिलासपुर	पुलिस थाना, सरकण्डा एवं तोरवा.	नगर पुलिस अधीक्षक/ प्रभारी निरीक्षक महिला थाना.
11.	बलौदाबाजार	नगरपालिका परिषद्, बलौदाबाजार.	अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)/ नगर पुलिस अधीक्षक.

No. F 2-119/Two-Home/2013.— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 13 of the Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 (No. 104 of 1956), the State Government, hereby, appoints the officers mentioned in column (4) of the table below to also act as Special Police Officers in the areas specified in column (3) for the district mentioned in column (2), to control and prevent immoral trafficking and to deal with the matters presented in their respective jurisdiction, namely :-

TABLE

Sr. No. (1)	District (2)	Name of Municipal Corporation/ Municipality (3)	Special Police Officer (4)
1.	Raigarh	Municipal Corporation, Raigarh.	Sub- divisional Officer (Police)/ City Superintendent of Police.
2.	Janjgir-Champa	Municipal Council, Janjgir-Champa.	Sub- divisional Officer (Police)/ City Superintendent of Police.
3.	Mungeli	Municipal Council, Mungeli.	Sub- divisional Officer (Police)/ City Superintendent of Police.
4.	Ambikapur	Municipal Corporation, Ambikapur.	Sub- divisional Officer (Police)/ City Superintendent of Police.

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Mahasamund	Municipal Council, Mahasamund.	Sub- divisional Officer (Police)/ City Superintendent of Police.
6.	Dhamtari	Municipal Council, Dhamtari.	Sub- divisional Officer (Police)/ City Superintendent of Police.
7.	Jagdalpur	Municipal Corporation, Jagdalpur.	Sub- divisional Officer (Police)/ City Superintendent of Police.
8.	Koriya	Municipal Council, Koriya.	Sub- divisional Officer (Police)/ City Superintendent of Police.
9.	Surajpur	Municipal Council, Surajpur.	Sub- divisional Officer (Police)/ City Superintendent of Police.
10.	Bilaspur	Police Station, Sarkanda, Torwa.	City Superintendent of Police/ Inspector in charge Women's Police Station.
11.	Balodabazar	Municipal Council, Balodabazar.	Sub- divisional Officer (Police)/ City Superintendent of Police.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.